नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

1. नर्मदा कछार

नर्मदा मध्यप्रदेश की मैकल माला में समुद्र तल से 900 मीटर की उॅचाई पर स्थित अमरकंठक नाम स्थान से निकलकर भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली भारत की पॉचवी सबसे बड़ी नदी है । यह नदी भरूच से 50 कि0मी0 दूर खम्भात की खाड़ी में मिलने से पूर्व पश्चिम दिश में 1312 कि0मी0 की दूरी तकय करती है । नर्मदा नदी पहले 1077 कि0मी0 केवल मध्यप्रदेश में बहती है तथा अगले 35 कि0मी0 में यक मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती है । इसके बाद फिर 39 कि0मी0 की लम्बाई गुजरात राज्य में स्थित है । नर्मदा कछार का एक नक्शा अनुसूची–1 में संलग्न है । नर्मदा का वार्षिक अपवाह औसतन 33.21 करोड़ एकड़ फीट (4100 करोड़ घन मीटर) तथा 75 प्रतिशत निर्भरता पर 28 करोड़ एकड़ फीट (3453.7) करोड़ घनमीटर है ।

2. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण बवार्ड

सन 1969 में गुजरात सरकार के आवेदन पर भारत सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद अध्यिनियम 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत न्यायामूर्ति वी.रामास्वामी की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण (नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण) का गठन किया न्यायाधिकरण ने अपना अंतिम आदेश दिसम्बर 1979 में दिया । न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयानुसार पक्षकार राज्यों के मध्य नर्मदा नदी के जल एवं सरकार सरोवर से उत्पादित विद्युत का बटंवारा निम्नानुसार निर्धारित किय गया है ।

पक्षकार राज्य	जल की मात्रा में हिस्सा (मिलियन एकड़ फीट)	विद्युत में हिस्सा (%)
मध्यप्रदेश	18.25	57
गुजरात	9.00	16
महाराष्ट्र	0.25	27
राजस्थान	0.50	
कुल	**28.00 मिलियन एकडऋ फीट**	**100**

3. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों को कियान्वित करने वाले तंत्र

नर्मदा जल विवाद के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड के खंण्ड XIV के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र गठित किए गये हैं ।

(1) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एन.सी.ए.)
(2) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एस.एस.सी.ए.सी)
(3) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पुनर्विलोकन समिति (आर.सी.एन.सी.ए.)

4. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एवं पुनर्विलोकन समिति का गठन कार्य एवं संरचना

(अ) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय की अनुपालना में इसके द्वारा खण्ड XIV के अंतर्गत दिए गये अंतिम के अनुसार भारत सरकार ने नर्मदा जल स्कीम तैयार की और तदानुसार न्यायाधिकरण के निर्णयों एवं निर्देशों का समुचित रूप में क्रियान्वित कराने के लिए 1980 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एवं पुनर्विलोकन का गठन किया ।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को नर्मदा जल का भण्डारण करने बांटने, नियंत्रण करने, सरदार सरोवर परियोजना (एस.एस.पी) से उत्पादित विद्युत को बॉटने में मध्यप्रदेश द्वारा जल की नियंत्रित निर्मुक्ति,सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाली भू–सम्पदा का संबंधित राज्यों द्वारा अधिग्रहण करवाना, विस्थापितों को मुआवजा तथा उनका पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास, निर्माण की लागतों में पक्षकार राज्यों का हिस्सा तथा पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित सौंपे हुए हैं । प्राधिकरण भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के अधीन कार्यरत है । प्राधिकरण की संरचना में 17 सदस्यों को सम्मिलित किया गया है जिसकी परिशिष्ट–2 पर संलग्न है ।

प्राधिकरण भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के अधीन कार्यरत हैं जो इसके अध्यक्ष।

(ब) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनर्विलोकन

पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हैं तथा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं गुजरात,मध्यप्रदेश,माहराष्ट्र एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य हैं । सचिव, जल संसाधन मंत्रालय,भारत सरकार इस पुनर्विलोकन समीक्षा समिति के संयोजक हैं ।

पुनर्विलोकन समीक्षा समिति नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के किसी भी निर्णय पर समीक्षा करने हेतु स्वयं अथवा किसी पक्षकार राज्य अथवा सचिव,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदन करने पर समीक्षा कर सकती है । अति आवश्यक परिस्थितियों में किसी भी पक्षकार राज्य सचिव,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,भारत सरकार के आवेदन पर अध्यक्ष पुनर्विलोकन समीक्षा समिति,प्राधिकरण के किसी भी आदेश/निर्णय पर समीक्षा के उपरांत अंतिम निर्णय होने तक स्थगन आदेश जारी कर सकते हैं ।

अब तक नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पुनर्विलोकन समिति की बारह सामान्य तथा एक विशेष बैठक आयोजित की जा चुकी है । पिछली बैठक 9 सितम्बर 2004 को आयोजित की गई थी।

आवार्ड को क्रियान्वित करने में यदि कोई महत्वपूर्ण मतभेद उत्पन्न हो जाए जो सुलझने में नहीं आ रहे हो तो समिति इस मामले को माननीय प्रधानमंत्री के विचारार्थ रख सकती है । उनका निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षकारों के लिए बाध्य होगा ।

(स) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के उपदल/उपसमितियॉं ।

उपदलों के गठन करके प्राधिकरण ने विभिन्न कार्य क्षेत्रों पर आधारित निम्नलिखित उपदलों का गठन किया है:-

(क) सचिव,भारत सरकार,सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास उपदल ।

(ख) सचिव,भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में पर्यावरण उपदल ।

(ग) सचिव,भारत सरकार, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता मंत्रालय के अध्यक्षता में पर्यावरण समिति जो इंदिरा सागर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना क्षेत्रों में क्षेत्रीय दौरे करके स्थिति का आकलन कर सके ।

(च) कार्यकारी सदस्य,नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अध्यक्षता में नर्मदा मुख्य नहर उप समिति ।

(छ) कार्यकारी सदस्य,नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अध्यक्षता में जल मौसम (हाईड्रोमेट) उपदल ।

(ज) सदस्य (विद्युत), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अध्यक्षता में विद्युत उपसमिति ।

5- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण सचिवलाय:-

7 अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एवं सचिव,जल संसाधन मंत्रालय की देख-रेख एवं मार्ग दर्शन में प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्य के प्रभारी कार्यकारी सदस्य हैं । कार्यकारी सदस्य के कार्यों में सहयोग देने के लिए तीन सदस्य नामझ: सदस्य(सिविल),सदस्य (विद्युत), एवं सदस्य (पर्यावरण एवं पुनर्वास) तथा सचिव,नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण है । प्राधिकरण का मुख्यालय इन्दौर में स्थित हैं । नर्मदा कछार में जल मौसम विज्ञानीय नेटवर्क के संस्थापन नर्मदा कछार के वार्षिक जल लेखें तैयार करने और इंदिरा सागर परियोजना के निर्माण कार्यों का प्रबोधन तथा सरदार सरोवर परियोजना की नहर प्रणाली का प्रबोधन करने एवं इससे जुड़े मैदानी कार्यों की देखभाल करने के लिए इन्दौर, भोपाल एवं बड़ौदा में तीन क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में एक संपर्क ईकाई भी कार्यरत है जो केन्द्रीय मंत्रालयों केन्द्रीय जल आयोग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से संपर्क बनवाने में सहयेाग करती है ।

नर्मदा नियत्रण प्राधिकरण, सचिवालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में परियोजनाओं (सरदार सरोवर परियोजना यूनिट-2 नहर एवं इंदिरा सागर परियेाजना) का प्रबोधन करना, नर्मदा नदी के वार्षिक जल लेखें तैयार करना,नर्मदा कछार में जल मौसम (हाईड्रोमेट)नेटवर्क एवं वास्तविक समय ऑकड़ा अर्जन प्रणाली (आर.टी.डी.ए.एस) की संस्थापना । सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित हुए परिवारों का पुनर्व्यवसथापन एवं पुनर्वास में संबंधित कार्यों का कियान्वयन एवं पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों का प्रबोधन करना सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित विद्युत की हिस्सेदारी के लिए उर्जा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करना है । माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1994 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 319 पर बहुमत से लिए अपने निर्णय में

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को सरदार सरोवर परियोजना बॉध की ऊँचाई को 90 मीटर उन्नयन स्तर से आगे बढ़ानें की अनुमति प्रदान करने का दायित्व सौंपा है ।

6. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का बजट एवं वित्त

प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय नर्मदा निंयत्रण प्राधिकरण निधि में से वहन किए जाते हैं जो गुजरात,मध्यप्रदेश,महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्यों द्वारा समान रूप से दिए गए अंशदान से मिलकर बनती है । इस प्रकार इसके व्यय जल संसाधन मंत्रालय के बजट में प्रभारित नहीं होता है ।

प्राधिकरण के व्ययो में दो मुख्य शीर्ष हैं जिसके लिए पक्षकार राज्यों को अपने हिस्से का अंशदान देना होता है ।

(अ) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण कार्यालय व्यय

वेतन,यात्रा भत्ते, आकस्मिक कार्यालय व्यय उर्जा प्रबंधन केन्द्र के संस्थापना से संबंधित व्यय पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास तथा पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों का प्रबोधन, नर्मदा निंयत्रण प्राधिकरण के कार्यालय एवं आवासीय भवनों जैसे व्ययों पर पक्षकार राज्य समान रूप से अपना अंशदान देते हैं । नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा संस्थापित किए गए उर्जा प्रबंधन केन्द्र का उपयोग नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा पक्षकार राज्यों को बिजली का वितरण करने के लिए किया जायेगा ।

(अ) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के वार्षिक लेखे उपचित (एकुअल) आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखें और तुलन पत्रक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं । इन लेखों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लेखा परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–2, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा की जाती है । वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्ष जुलाई 2002 के माह में की गई थी । इसी प्रकार वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा जुलाई 2003 के माह में की जाती है ।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के विगत तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखे (विधिवत लेखा परीक्षा हुए) का प्रतिलिपियों की एक पुस्तिका इसके साथ संलग्न है ।

(ब) जल मौसम (हाईड्रोमेट) व्ययः– पक्षकार राज्यों ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को नर्मादा कछार में जल मौसम विज्ञानीय केन्द्रों एवं प्रमाप एवं निस्सारण स्थलों की संस्थापना का कार्य भी सौंपा हुआ है । जिसमें वास्तविक समय ऑकड़ा अर्जन प्रणाली संस्थापना का कार्य भी सौंपना हुआ है । जिसमें वास्तविक समय

ऑकड़ा प्रणाली (आर.टी.डी.ए.) की स्थापना करना भी शामिल है । इन मदों पर होने वाले सभी कार्यों के व्ययों को जल मौसम (हाईड्रोमेट) व्यय के अंतर्गत शामिल किए गए है ।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने अपनी 62वीं बैठक में लिए निर्णय के अुनसार इन व्ययों को गुजरात,मध्यप्रदेश,माहराष्ट्र एवं राजस्थान सरकारों के कमश 44:40:15:1 के अनुपाल में बांटने का निश्चय किया है । वास्तविक समय आंकड़ा अर्जन प्रणाली (आर.टी.डी.ए.एस) परियेाजना के कार्यों को टर्न की आधार पर कार्यान्वित करने का ठेका मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद (इ.सी.आई.एल) को रू. 12.85 करोड़ पर दे दिया गया था जिसमें जल मौसम विज्ञानीय प्राचकों का अवलोकन करने के लिए संवेदकों के साथ सुसज्जित 26 सुदूरवर्ती केन्द्रों की स्थापना एवं इन्दौर में एक मुख्य नियंत्रण केन्द्र (एम.सी.सी)की स्थापना करना है । तैयार होने के पश्चात यह प्रणाली सेटेलाइट के माध्यम से सुदूरवर्ती केन्द्र/परियोजना केन्द्रों से मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान संबंधी आंकडों को वास्तविक समय आधार पर मुख्य नियंत्रण केन्द्र, इन्दौर को सम्प्रेषत कर सकेगा । मानसून के दौरान बाढ़ वास्तविक समय आधार पर बाढ़ के पूर्वानूमान सूचना भी केन्द्र इन्दौर को सम्प्रेषत कर सकेगा । मानसून के दौरान बाढ़ के पूर्वानुमान सूचना भी मुख्य अभियंता केन्द्र द्वारा जारी की जाएगी ।